

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273738
SG-DL-E-23062026-273738असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]	दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 70
No. 152]	DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 70

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2026

फा. सं. (72)/92-93/प्रशि0 खंड-II/सीडी-033264446/174.—दिनांक 10 जनवरी 2017 की पूर्ववर्ती अधिसूचना फा0सं0 (72)/92-93/प्रशि0 खंड-II/46 के अधिक्रमण में, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी) का तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठन करते हैं:

क्र.सं.	गणमान्य व्यक्ति (पदेन)	परिषद् में पद
1	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (एमओटीटीई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, टीटीई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	उपाध्यक्ष
3	प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य

4	प्रधान सचिव/सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5	निदेशक, टीटीई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
6	आयुक्त (उद्योग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
7	नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
8	उप निदेशक (प्रशिक्षण), डीटीटीई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या डीटीटीई के प्रशिक्षण विंग में सर्वोच्च सेवारत अधिकारी	सदस्य सचिव
9	क्षेत्रीय निदेशक/विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई), एनसीआर	सदस्य
10	राज्य नियुक्ति अधिकारी (दिल्ली), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	सदस्य
	नामित सदस्य	
क्र.सं.	गणमान्य व्यक्ति (नामित)	परिषद् में पद
11	श्री अहीर दीपक चौधरी, विधायक, एसी-05, बादली	सदस्य
12	श्री संजय गोयल, विधायक, एसी-62, शाहदरा	सदस्य
13-15	सेक्टर कौशल परिषद् के तीन नामित व्यक्ति	सदस्य(ओं)

परिषद् के कार्य

परिषद् निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:-

- केंद्र सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इसके कार्यक्षेत्र में होने वाले इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग और किसी भी अन्य समान ट्रेडों में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की नीतियों को तय करना और लागू करना।
- पाठ्यक्रम, उपकरण, आवास का पैमाना, पाठ्यक्रमों की अवधि और प्रशिक्षण पद्धति के संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा निर्धारित निर्णयों को लागू करना और नीतियों का पालन करना।
- नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता का आकलन करना और मान्यता प्राप्त संस्थानों में नए पाठ्यक्रम/ट्रेड को शुरू करने की आवश्यकता का आकलन करना।
- राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों की स्थापना के लिए संबद्धता के मानदंड तैयार करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों को संबद्धता प्रदान करना।
- जहां कहीं भी ये मामले एनसीवीटी/एनसीवीईटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, भौतिक और शिक्षण सुविधाओं, स्टाफ संरचना, स्टाफ योग्यता, शिक्षकों के कार्यभार, कार्य दिवसों और संपर्क करने के घंटों की संख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आकलन और परीक्षाओं तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना।
- पर्याप्त और व्यवस्थित व्यावहारिक प्रशिक्षण जो संस्थान स्तर पर प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण का पूरक होगा, प्रदान करने हेतु परिषद के अंतर्गत उद्योगों, कार्यशालाओं, विकास संगठनों और तकनीकी संस्थानों के बीच व्यावहारिक समन्वय स्थापित करना।
- निर्धारित पाठ्यक्रमों पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को ट्रेड प्रमाण पत्र/अन्य उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करना, परिणाम प्रकाशित करना और उन्हें अवार्ड देना।

- (viii) राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों का तदर्थ या आवधिक निरीक्षण आयोजित करना और यह सुनिश्चित करना कि जहां भी लागू हो, एससीवीटी से संबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है।
- (ix) परिषद द्वारा तैयार की गई योजनाओं को आरंभ करना तथा योजनाओं के अनुसार छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करना।
- (x) संबद्ध संस्थानों से निर्धारित शुल्क की मांग करना और उसे प्राप्त करना।
- (xi) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को उसके कार्यों के संबंध में सलाह देने के लिए स्थायी समितियों का गठन करना या आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सह-योजित करना।
- (xii) सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

एंजेल भाटी चौहान, निदेशक, टीटीई

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2026

F. No. (72)/92-93/Trg.Vol.-II/CD-033264446/174.— In supersession of earlier notification No. F.No. (72)/92-93/Trg.Vol.-II/46, dated 10th January 2017, the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi is pleased to re-constitute the State Council for Vocational Training (SCVT) for the National Capital Territory of Delhi with immediate effect as under:

S. No.	Dignitary (Ex-Officio)	Status in the Council
1	Minister of Training & Technical Education (MoTTE), GNCTD	Chairperson
2	Principal Secretary/Secretary, TTE, GNCTD	Vice-Chairperson
3	Principal Secretary/Secretary (Finance), GNCTD	Member
4	Principal Secretary/Secretary (Planning), GNCTD	Member
5	Director, TTE, GNCTD	Member
6	Commissioner (Industries), GNCTD	Member
7	Controller, Board of Technical Education, GNCTD	Member
8	Deputy Director (Training), DTTE, GNCTD or the highest serving officer in the Training Wing, DTTE	Member Secretary
9	Regional Director/Head of Department, Regional Directorate of Skill Development & Entrepreneurship (RDSDE), NCR	Member
10	State Engagement Officer (Delhi), National Skill Development Corporation (NSDC)	Member
	Nominated Members	
S. No.	Dignitary (Nominated)	Status in the Council
11	Sh. Aahir Deepak Chaudhary, MLA, AC-05, Badli	Member
12	Sh. Sanjay Goyal, MLA, AC-62, Shahdara	Member
13-15	Three nominees of Sector Skill Councils	Member(s)

FUNCTIONS OF THE COUNCIL

The Council will perform the following functions:-

- (i) To decide and implement the policies of the National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) with regard to the award of National Trade Certificates in Engineering, Non-Engineering and any other similar trades as may be brought within its scope by the Central Government or Government of NCT of Delhi.
- (ii) To implement the decisions of and carry out the policies laid down by the National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) in respect of syllabus, equipment, scale of accommodation, duration of courses and method of training.
- (iii) To assess the need for establishment of new Industrial Training Institutes/Centres, and introduction of new courses/trades in the recognized institutes.

- (iv) To frame the norms of affiliation for establishment of industrial training institutes/centres under State Council of Vocational Training and grant affiliation to industrial training institutes/centres as per prescribed procedure.
- (v) To lay down norms and standards for the courses, curriculum, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualification, work load of teachers, no. of working days and contact hours, quality instructions, assessment and examinations and other matters incidental thereto, wherever the same are not covered under the NCVT/NCVET.
- (vi) To bring about practical coordination between industries, workshops, development organizations and technical institutes under the Council for providing adequate and systematic practical training which will be complementary to the training provided to trainees at institute level.
- (vii) To conduct examination, publish result and award Trade certificates/other pass certificates to the successful candidates in various examinations based on such courses as may be prescribed.
- (viii) To arrange for adhoc or periodical inspection of the training institutes/centres in the state and to ensure that the standards prescribed by the National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) are being followed for SCVT affiliated courses, wherever applicable.
- (ix) To institute and award scholarships, medals and prizes according to the schemes framed by the council.
- (x) To demand and receive such fees as may be prescribed from affiliated institutions.
- (xi) To constitute standing committees or to co-opt, if necessary any person or persons to advice the State Council for Vocational Training in connection with its work.
- (xii) To perform any other functions as may be entrusted to it by the Government from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANGEL BHATI CHAUHAN, Director, TTE